



# कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार । (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

पत्रांक- FC - .....

प्रेषक,

एस० के० सिंह, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण एवं वन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-

विषय- श्रीमति शिल्पा द्वारा खाता संख्या 560, 635 प्लॉट संख्या-1106, 1105 मढ़ौरा अंचल अन्तर्गत मौजा इसरौली जिला- सारण में IOCL का (किसान सेवा केन्द्र) रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सारण जिलान्तर्गत मौजा इसरौली जिला- सारण में IOCL का (किसान सेवा केन्द्र) का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु श्रीमति शिल्पा, पति- श्री नृपेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो०- इसरौली, थाना-मढ़ौरा, जिला-सारण का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 974 दिनांक 29.07.2015 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 से "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापक 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है। इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.0244 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. अपयोजन प्रस्ताव के विरुद्ध संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4. प्रस्तावित अपयोजित होने वाली भूमि का Geo-referencing Map तैयार कराया गया है, जो संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाले वृक्षों की संख्या एक शून्य है एवं वनों का वानस्पतिक घनत्व 0 अंकित किया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र से 100 कि०मी० की दूरी पर प्राकृतिक वन अवस्थित है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से दक्षिण एवं उत्तर की ओर क्रमशः 08 एवं 08 कि०मी० की दूरी पर अगला पम्प अवस्थित है। उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक से अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

- (i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) 0.0244 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 15,275/- (पंद्रह हजार दो सौ पचहत्तर रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 50 वृक्षरोपण एवं 10 वर्षों तक इसके रख-रखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा। तथा उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (बिल्डिंग बना कर भी) नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही हैं। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एस० के० सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC-163

दिनांक 02/03/2016

प्रतिलिपि : श्रीमति शिल्पा, पति- श्री नृपेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो०- इसरीली, थाना-मढ़ौरा,  
जिला-सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(एस० के० सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।